

23.05/2023

यत्नावली मेश हुई। पार्थी अधिवक्ता
अनुमोदित। विमली अधिवक्ता उमस्त्रित।
यत्नावली वास्ते लहस आयन्द। दिनांक
27.06.2023 को मेश हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

27.06.2023

यत्नावली मेश हुई। पार्थी अधिवक्ता अनुमोदित।
विमली अधिवक्ता उमस्त्रित। पार्थी अधिवक्ता
को क्रमशः तीन बार आवाजे दिलवाई गई।
इसके बाद भी पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता
न्यायालय में उमस्त्रित नहीं हुए। अतः प्रकरण
पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता की अनुमोदित
से पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता की अदम
ठानरी एवं अदम मेशरी में खारिज
फिया जाता है। प्रकरण नंबर से कम
हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा